हरपाल सिंह

बनाम

पंजाब राज्य

दिसंबर 4, 2007

{जी.पी. माथुर और जी.एस. सिंघवी, जे.जे.}

आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987-धारा 12, 18 और 20ए (2)- पदांकित टाडा न्यायालय-क्षेत्राधिकार-टाडा के अलावा अन्य अधिनियमों के तहत अपराधों का संज्ञान लेने के लिए-निर्णित-पदांकित टाडा न्यायालय को किसी अन्य अपराध की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार केवल तभी मिलता है जब उसके पास क्षेत्राधिकार हो और वह टाडा के तहत किसी अपराध की सुनवाई कर रहा है-तथ्यों पर, चूंकि अभियुक्त पर टाडा की धारा 20ए (2) द्वारा अपेक्षित पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस आयुक्त की मंजूरी नहीं थी, पदांकित टाडा न्यायालय में अभियुक्त/अपीलार्थी पर टाडा का मुकदमा चलाने के लिए अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का अभाव था-नतीजतन उसे किसी अन्य अधिनियम के तहत अपराधों के लिए भी विचारित नहीं किया जा सकता था जैसे कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम या विस्फोटक अधिनियम-पदांकित टाडा कोर्ट द्वारा अपीलार्थी को धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत की गई

दोषसिद्धि अवैध है व रद्द किए जाने योग्य है-विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908-धारा 5-विस्फोटक अधिनियम, 1884

शब्द और वाक्यांश-''क्षेत्राधिकार''-अर्थ-चर्चा।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि एक पुलिस दल को देखकर अपीलार्थी ने भागने की कोशिश की लेकिन पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया गया और अपीलार्थी से एक किलोग्राम विस्फोटक पाउडर वाला एक थैला बरामद किया गया। पदांकित टाडा न्यायालय में आरोप-पत्र आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (टाडा) के तहत अपीलार्थी के अभियोजन के लिए पेश की गई। पदांकित टाडा अदालत में टाडा व विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत अपराधों से अपीलार्थी को बरी कर दिया और केवल विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 5 के तहत दोषसिद्ध किया गया।

इस न्यायालय में अपील में यह तर्क दिया गया था कि पदांकित टाडा न्यायालय के पास टाडा के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का अभाव था और इसके परिणामस्वरूप विचारण करने व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत दोषसिद्ध करने का कोई अधिकार नहीं था।

अपील को अनुमति दी गई, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारितः

1.1 आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 की धारा 20-ए की उपधारा(1) को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस

अधीक्षक की पूर्व मंजूरी के बिना टाडा के किसी अपराध की प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की जा सकती है। इसी तरह धारा 20 की उपधारा (2) के कारण कोई अदालत पुलिस महानिरीक्षक या उपर्युक्त मामलों में पुलिस आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना टाडा के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती है। अतः पदांकित न्यायालय टाडा के तहत किसी अपराध का पुलिस महानिरीक्षक या उपर्युक्त मामले में पुलिस आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना संज्ञान लेने से विवर्जित की जाती है। {पैरा 5}{835-सी-डी}

1.2 पदांकित न्यायालय टाडा के तहत सुनवाई करते हुए धारा 12 टाडा को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य अपराध का विचारण करने के लिए भी सशक्त है जिसका आरोप सीआरपीसी के तहत उसी विचारण में अभियुक्त पर लगाया जा सकता हो और ऐसे व्यक्ति को उक्त अन्य अपराध के लिए दोषसिद्ध भी किया जा सकता है और टाडा द्वारा या अन्य किसी विधि द्वारा प्राधिकृत दंड भी दिया जा सकता है। परंतु धारा 12 के लागू होने के लिए यह अतिआवश्यक है कि पदांकित न्यायालय टाडा के अंतर्गत अपराध का विचारण कर रही हो। यदि पदांकित न्यायालय टाडा के अंतर्गत अपराध का विचारण नहीं कर रही है तो उसे अन्य अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार भी नहीं है। धारा 18 भी इसी स्थिति की तरफ ध्यान आकर्षित करती है, जो कहती है कि यदि प्रसंज्ञान लेने के पश्चात पदांकित न्यायालय के मद में अपराध इसके द्वारा विचारणीय नहीं है, तो विचारण का क्षेत्राधिकार नहीं होने पर वह उस न्यायालय को प्रकरण विचारण के लिए

अंतरित करेगा जिस न्यायालय के पास दंड प्रक्रिया संहिता के तहत क्षेत्राधिकार है। अतः पदांकित न्यायालय को अन्य अपराध का विचारण करने का क्षेत्राधिकार केवल तभी होता है जब उसे टाडा के तहत विचारण करने का क्षेत्राधिकार भी हो। {पैरा 8}{836-सी-एफ}

निरंजन सिंह कर्म सिंह पंजाबी बनाम जितेंद्र भीमराज बीज्जा व अन्य, एआईआर (1990) एससी 1962 पर भरोसा किया गया।

2. क्षेत्राधिकार का अर्थ है ग्रहण करना, सुनना और प्रकरण को निर्णित करना और प्रकरण में न्याय करना और विवाद तय करना। अधिकारिता के अभाव में न्यायालय को सुनवाई करने और निर्णित करने की कोई शक्ति नहीं है और इसके द्वारा पारित आदेश अमान्य होगा। {पैरा 9}{837-एच}

पी.रामनाथ अय्यर द्वारा ब्लैक लाॅ डिक्शनरी और लाॅ लैक्सिकन, दूसरा संस्करण रिप्रिंट 2000, संदर्भित।

3. वर्तमान मामले में, पहले आरोप-पत्र में टाडा का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं था। अभियोजन द्वारा पूरक आरोप-पत्र प्रस्तुत की जाकर टाडा का अपराध प्रस्तावित किया गया। लेकिन धारा 20ए (2) टाडा के तहत आवश्यक पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस आयुक्त की कोई मंजूरी नहीं थी। इस प्रकार, पदांकित न्यायालय को अपराध का संज्ञान लेने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था और इसलिए, इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 व विस्फोटक अधिनियम, 1884 के

अपराधों का विचारण भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि अवैध है। {पैरा 10}{838-ए-सी}

रामभाई नाथभाई गढवी व अन्य बनाम गुजरात राज्य, {1997} 7 एससीसी 744, पर भरोसा किया गया।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या-548/2007

टाडा सत्र केस संख्या 4/2006 जालंधर, पंजाब में नामित न्यायालय कपूरथला के दिनांक 16.03.2007 के निर्णय और अंतिम आदेश से।

सुशील कुमार, संजय जैन, अनमोल ठकराल, विनय अरोड़ा, मुकेश अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।

कुलदीप सिंह प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित।

न्यायालय का निर्णय जस्टिस जी.पी. माथुर द्वारा सुनाया गया।

1. यह अपील टाडा अधिनियम की धारा 19 के तहत पदांकित न्यायालय, कपुरथला, जालंधर के प्रकरण संख्या सेशन केस 4/2006 के निर्णय व आदेश दिनांक 16.03.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलार्थी को धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर 5 वर्ष कठोर कारावास व 1000 रूपए जुर्माने से दंडित किया गया था।

2. अभियोजन का संक्षेप में प्रकरण यह है कि दिनांक 12.03.1992 को कमलजीत सिंह, एसएचओ, संतोख सिंह, एसआई व कुछ अन्य पुलिसकर्मी ग्राम कुकार पिंड से रायपुर ग्राम प्रकरण संख्या 31 अंतर्गत धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता धारा 25 आयुध अधिनियम और 3, 4, 5 आतंकवादी और विध्वंषकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (जिसे आगे टाडा के नाम से संबोधित किया जाएगा) की तफ्तीश हेतु जा रहे थे। जब वे कुकार पिंड ग्राम के बाए पुल पर पहुंचे, उन्होंने एक पैदल व्यक्ति को आते हुए देखा। पुलिस कार्मिकों को देखकर उसने भागने का प्रयास किया परंतु पीछा कर उसे पकड़ लिया गया और पूछताछ करने पर उसने अपना नाम हरपाल सिंह (इस अपील का अपीलार्थी) होना बताया। उस व्यक्ति की जांच करने पर उसके दाए हाथ के झोले में एक चमकीले कागज में विस्फोटक पाउडर पाया गया। उस बैग में एक किलो विस्फोटक पाउडर था जिसे कब्जे में लिया गया। थाने पर सूचना भेजी गई जिसके आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

3. अनुसंधान और मंजूरी व एफएसएल रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात आरोप-पत्र अंतर्गत धारा 4, 5, 9 बी (ब) विस्फोटक अधिनियम, 1884 में दिनांक 24.02.1994 को अपीलार्थी के अभियोजन हेतु पेश की गई। आरोप-पत्र में टाडा व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 का कही भी जिक्र नहीं था। पदांकित न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया जिसने अपराध का संज्ञान लेकर अपीलार्थी के विरुद्ध विचारण प्रारंभ किया। अंत में

पदांकित न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को टाडा व विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत दोषमुक्त किया गया, परंतु केवल धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर उसे 5 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रूपए जुर्माने से दंडित किया गया।

4. अपीलार्थी के वरिष्ठ अधिवकता श्री सुषील कुमार ने यह कथन प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य के आधार पर कोई मामला ही नहीं बनता है परंतु तथ्यों पर जाने के और साक्ष्य के विवेचन के स्थान पर अपील को विधिक आधारों पर ही अनुमति दी जा सकती है।

5. टाडा का भाग 3 पदांकित न्यायालयों से संबंधित है। टाडा की धारा 9 की उपधारा 1 में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या एक से अधिक पदांकित न्यायालय किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए, जैसा कि अधिसूचना मे निर्दिष्ट किया जाए, गठित कर सकती है। टाडा की धारा 11 की उपधारा 1 में यह प्रावधान है कि सीआरपीसी में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम या किसी नियम के अंतर्गत दंडनीय किसी भी अपराध का विचारण उसी पदांकित न्यायालय द्वारा किया जावेगा जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर उक्त अपराध किया गया है या उस न्यायालय द्वारा जो धारा 9 उपधारा 1 के तहत उस अपराध के विचारण के लिए गठित हो। धारा 12 और धारा 18 टाडा अधिनियम में दिया गया है-

"12 अन्य अपराधों के संबंध में निर्दिष्ट न्यायालयों की शक्तियाँ। -

(1) किसी अपराध की सुनवाई करते समय, एक नामित न्यायालय किसी अन्य अपराध की भी सुनवाई कर सकता है, जिसके लिए संहिता के तहत आरोपी पर उसी मुकदमे में आरोप लगाया जा सकता है, यदि अपराध ऐसे अन्य अपराध से जुड़ा हो।

(2) यदि, इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के मुकदमे के दौरान, यह पाया जाता है कि आरोपी व्यक्ति ने इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या किसी अन्य कानून के तहत कोई अन्य अपराध किया है, तो नामित न्यायालय दोषी ठहरा सकता है ऐसा व्यक्ति ऐसे किसी अन्य अपराध के लिए दोषी है और उसकी सजा के लिए इस अधिनियम या ऐसे नियम या, जैसा भी मामला हो, ऐसे अन्य कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा पारित कर सकता है।

18. मामलों को नियमित अदालतों में स्थानांतरित करने की शक्ति-जहां, किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद, एक नामित न्यायालय की राय है कि अपराध उसके द्वारा विचारणीय नहीं है, इसके बावजूद कि उसके पास ऐसे

अपराध का प्रयास करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, स्थानांतरण करेगा इस तरह के अपराध की सुनवाई के लिए मामला संहिता के तहत क्षेत्राधिकार रखने वाली किसी भी अदालत में भेजा जा सकता है और जिस अदालत में मामला स्थानांतरित किया गया है वह अपराध की सुनवाई के साथ आगे बढ़ सकता है जैसे कि उसने अपराध का संज्ञान लिया हो।"

अधिनियम संख्या 43/1993 के द्वारा धारा 20ए को टाडा में दिनांक 22.05.1993 को जोड़ा गया।

"20-ए. अपराध का संज्ञान -

(1) संहिता में किसी भी बात के बावजूद, इस अधिनियम के तहत अपराध के घटित होने के बारे में कोई भी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की जाएगी।

(2) कोई भी अदालत पुलिस महानिरीक्षक, या जैसा भी मामला हो, पुलिस आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी।"

अतः दिनांक 22.05.1993 के पष्चात, धारा 20ए की उपधारा 1 को ध्यान में रखते हुए, जिला पुलिस अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना टाडा

के अंतर्गत अपराध की कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार से धारा 20ए की उपधारा 2 के अनुसार कोई न्यायालय टाडा के अपराध का प्रसंज्ञान पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना नहीं ले सकता है। इस संषोधन का यह प्रभाव है कि पदांकित न्यायालय पुलिस महानिरीक्षक या उचित प्रकरणों में पुलिस आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना टाडा के किसी अपराध का संज्ञान लेने से प्रतिबंधित है।

6. जैसा कि पूर्व में उल्लिखित किया गया है कि अपीलार्थी से तथाकथित पदार्थ की जब्ती 12.03.1992 को हुई थी और प्रकरण विस्फोटक अधिनियम की धारा 4, 5 के अंतर्गत विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान पदांकित न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र दिनांक 24.02.1994 को प्रस्तुत किया गया था। आरोप-पत्र में अपीलार्थी के विरूद्ध टाडा व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 का कही भी जिक्र नहीं किया गया था। अपीलार्थी को विस्फोटक अधिनियम, 1884 के प्रकरण में 01.07.1992 को जमानत का लाभ दिया गया। तत्पष्चात वह यूएसए चला गया और राजनैतिक शरण की मांग की। दिनांक 22.01.1995 को उसे भगौडा घोषित कर दिया गया। यूएसए द्वारा उसे वापस वर्ष 2006 में भारत भेज दिया गया। तत्पष्चात पुलिस द्वारा पूरक आरोप-पत्र 29.05.2006 को अपीलार्थी के विरूद्ध टाडा व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाने हेतु प्रस्तुत

किया गया। पदांकित न्यायालय द्वारा इसके पष्चात अपीलार्थी के विरूद्ध टाडा व धारा 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व विस्फोटक अधिनियम का विचारण किया गया।

7. ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा पुलिस महानिरीक्षक या आयुक्त से अपीलार्थी के टाडा में अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति किसी भी स्तर पर प्राप्त नहीं की गई, जैसा कि टाडा के धारा 20ए (2) में चाहा गया है। अपीलार्थी का विचारण पदांकित न्यायालय के समक्ष पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस आयुक्त की स्वीकृति के बिना ही आगे बढ़ा। पूर्व अनुमति के बिना पदांकित न्यायालय के पास टाडा के अंतर्गत अपराध का प्रसंज्ञान लेने व विचारण को आगे बढ़ाने का क्षेत्राधिकार ही नहीं था।

8. पदांकित न्यायालय, टाडा के तहत एक अपराध की सुनवाई करते समय निस्संदेह किसी भी अन्य अपराध की सुनवाई करने के लिए सषक्त है जिसके साथ आरोपी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उसी मुकदमे में आरोपित किया जा सकता है यदि अपराध टाडा की धारा 12 को ध्यान में रखते हुए ऐसे अन्य अपराध से जुड़ा है और ऐसे व्यक्ति को ऐसे अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है और टाडा या ऐसे अन्य अपराध द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य सजा दे सकता है। परंतु धारा 12 के लागू होने के लिए यह आवष्यक है कि पदांकित न्यायालय टाडा के किसी अपराध का विचारण करती हो। परंतु यदि पदांकित न्यायालय टाडा के अपराध का

विचारण नहीं कर रही है तो इसे अन्य किसी अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार भी नहीं होगा। धारा 18 भी इसी स्थिति की तरफ इंगित करती है जो कहती है कि जहां, संज्ञान लेने के पष्चात किसी भी अपराध के लिए, पदांकित न्यायालय की राय है कि अपराध इसके द्वारा विचारण योग्य नहीं है, तो वह इसके बावजूद की इस तरह के अपराध का मुकदमा चलाने की इसकी कोई अधिकारिता नहीं थी, अपराध के मुकदमे के लिए मामले को क्षेत्राधिकार वाले किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करेगा। इस प्रकार पदांकित न्यायालय को किसी अन्य अपराध का मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र केवल तभी प्राप्त होता है जब उसके पास टाडा के प्रकरण का क्षेत्राधिकार होता है और वह इसका विचारण कर रही हो। निरंजन सिंह कर्म सिंह पंजाबी बनाम जितेंद्र भीमराज बीज्जा व अन्य।, एआईआर (1990) एससी 1962 में यह निर्णित किया गयाः-

> ''इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 12 (1) पदांकित न्यायालय को किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का मुकदमा चलाने का अधिकार देती है यदि इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध पूर्व अपराध के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि जब पदांकित न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3 (1) के तहत आरोप लगाने का पर्याप्त आधार नहीं है तो यह अन्य विधियों के तहत हुए अपराधों

का विचारण प्रारंभ करे। इसे क्षेत्राधिकार को हड़पने के सामान माना जावेगा। इसलिए, धारा 18 के संदर्भ में यह प्रावधान है जहां किसी भी अपराध का संज्ञान लेने के पष्चात नामित न्यायालय की राय है कि अपराध इसके द्वारा विचारण योग्य नहीं है, वह मामले को कोड के अधीन अधिकारिता रखने वाले किसी भी न्यायालय में ऐसे अपराध के विचारण हेतु अंतरित करेगा।"

9. इस स्तर पर 'क्षेत्राधिकार' शब्द के शब्दकोश के अर्थ को संदर्भित करना उपयोगी होगाः-

ब्लैक लाॅ शब्दकोश- किसी मामले या मुद्दे पर निर्णय लेने व डिक्री जारी करने की अदालत की शक्ति। शब्द और वाक्यांश-विधिक रूप से परिभाषित-तीसरा संस्करण (पी. 497):

"क्षेत्राधिकार का अर्थ है वह अधिकार जिससे न्यायालय अपने समक्ष चलाए गए या स्वयं के समक्ष निर्णय हेतु औपचारिक तरीके से प्रस्तुत किए गए प्रकरणों पर प्रसंज्ञान लेकर निर्णय करना होता है। इस प्राधिकार की सीमाएं उस कानून, चार्टर या आयोग द्वारा अधिरोपित की जाती है जिससे न्यायालय का गठन किया गया है और सामान माध्यमों से विस्तारित या प्रतिबंधित किया जा सकता है। यदि कोई प्रतिबंध या सीमा नहीं लगाई जाती है तो

अधिकार क्षेत्र असीमित कहा जाता है। एक सीमा या तो किसी कार्य या प्रकृति से संबंधित हो सकती है जिसका विषेष न्यायालय में संज्ञान है या किसी क्षेत्र पर हो सकती है जहां तक क्षेत्राधिकार विस्तारित है।''

पी.रामनाथ अय्यर द्वारा लिखित लाॅ लैक्सिकन-द्वितीय संस्करण रिप्रिंट 2000:

"एक अधिकार या शक्ति, जिसे एक व्यक्ति के पास उसके सामने लाई गई शिकायत पर न्याय करने के लिए दी गई है (टाॅमलिन लाॅ शब्दकोश) किसी एक विशिष्ट प्रकरण को सुनने व तय करने की शक्ति; न्यायालय या न्यायाधीश की कार्यवाही, याचिका या अन्य प्रकरण में सुनवाई की शक्ति; विवादों को सुनने और तय करने की विधिक शक्ति। किसी विशेष दावे या विवाद पर लागू होकर न्यायालय के विवाद को सुनने व तय करने का क्षेत्राधिकार।''

इसलिए, क्षेत्राधिकार का अर्थ है एक प्रकरण को ग्रहण करने, सुनने, निर्णित करने की शक्ति या अधिकार और प्रकरण में न्याय करने और विवाद तय करने की शक्ति या अधिकार। क्षेत्राधिकार के अभाव में न्यायालय के प्रकरण सुनने व निर्णय की शक्ति नहीं है और इसके द्वारा पारित निर्णय शुन्य होगा।

10. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पहले आरोप-पत्र में जो 24.02.1994 को दाखिल किया गया था, पर टाडा का कोई उल्लेख नहीं था। दिनांक 29.05.2006 को दायर पूरक आरोप-पत्र में अभियोजन पक्ष में टाडा के तहत अपराध का उल्लेख किया लेकिन टाडा की धारा 20ए (2) की आवश्यकतानुसार पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस आयुक्त की कोई पूर्व मंजूरी नहीं थी और इसलिए पदांकित न्यायालय के पास अपराध का संज्ञान लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। चूंकि टाडा के तहत अपराध का मुकदमा चलाने के लिए अदालत के पास अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का अभाव था न्यायालय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 और विस्फोटक अधिनियम, 1884 के लिए भी अपीलार्थी का विचारण नहीं कर सकता था। इस प्रकार विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 5 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि अवैध है।

11. उपरोक्त दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा रामभाई नाथभाई गढवी व अन्य बनाम गुजरात राज्य, {1997} 7 एससीसी 744 में भी लिया गया है जिसके पैरा 8 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

> "8 संज्ञान लेना वह कार्य है जो पदांकित न्यायालय द्वारा किया जाना है और मंजूरी देना ऐसा कार्य है जो मंजूरी देने वाले प्राधिकरण को करना होता है। बाद वाला कार्य पूर्व में किए जाने वाले कार्य के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। उपधारा में अनुध्यात मंजूरी किसी विशेष व्यक्ति पर अपराध

या अपराधों के लिए टाडा का मुकदमा चलाने की अनुमति है। पदांकित न्यायालय को प्रसंज्ञान लेने के लिए मंजूरी नहीं दी जाती लेकिन अभियोजन एजेंसी को अपराध का संज्ञान लेने में न्यायालय को सक्षम बनाने और आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अदालत तक पहुंचने के लिए अनुमति दी जाती है। अतः वैध मंजूरी अभियोजन को न्यायालय जाकर, न्यायालय को रिपोर्ट में खुलासा किए गए टाडा के अपराध के विरूद्ध प्रसंज्ञान लेने में सक्षम बनाने की एक अनिवार्य शर्त है। परिणामतः यदि वैध मंजूरी नहीं है तो पदांकित न्यायालय को रिपोर्ट में वर्णित किसी व्यक्ति के विरूद्ध विचारण करने का क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि न्यायालय ऐसी मंजूरी के बिना प्रसंज्ञान लेने से प्रतिबंधित है। यदि पदांकित न्यायालय द्वारा बिना वैध मंजूरी के अपराध का प्रसंज्ञान ले लिया गया है तो ऐसा प्रसंज्ञान बिना क्षेत्राधिकार के है और इसके आधार पर की गई समस्त कार्यवाही भी बिना क्षेत्राधिकार के होगी।"

12. ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष से पलायन नहीं किया जा सकता है कि पदांकित न्यायालय के पास अपीलार्थी को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के अंतर्गत दोषसिद्ध करने का

क्षेत्राधिकार नहीं था क्योंकि उसके द्वारा टाडा के अपराध के प्रसंज्ञान की धारा 20ए (2) टाडा में वर्णित मंजूरी नहीं थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पदांकित न्यायालय धारा 20ए (2) के आज्ञात्मक प्रावधान की मंजूरी के अभाव में टाडा के तहत अपराध का प्रसंज्ञान नहीं ले सकती थी, वह अन्य विधि के तहत भी अपराध का विचारण नहीं कर सकती थी।

13. तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है और धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत की गई दोषसिद्धि व सजा को रद्द किया जाता है। अपीलार्थी यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित नहीं हो तो तुरंत रिहा किया जाए।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रतीक दाधीच (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।